

दिनांक

हुमाय का कार्यवाही भंग इनिशियल जल

उत्तर में लीख
अनुसार जो प्र
दुख भी साधन
में जारी प्र

17/12/25

पत्रावली सिंगेर से तलब की गई। (जार्जी उच.)
 जार्जी की ओर से माधिवक्ता श्री सुधीराय चौधरी
 द्वारा बहालतमाया एवं जर्जना पर अन्तर्गत धारा 151
 वा. दीवानी मय बादाब रिकॉर्ड की बकसों के मात
 रीका किया गया। जार्जी माधिवक्ता द्वारा निवेदन किया
 गया कि जार्जी द्वारा उत्तुल मूल वाद सं- 32/2020
 उतबान जमाना बगाम भवाना कातत विभाजन
 आशाजिपात का निवारण दिनांक 7/7/2020 को
 हो चुका है। निर्णय एवं डिक्री की पासग हो चुकी है
 तथा निर्णय के विरुद्ध उत्तुल अपील सं- 239/2020 का
 माननीय न्यायालय बादाब अपील जाहीकारी, भीसराय
 द्वारा निवारण किया जा चुका है। जार्जी द्वारा उत्तुल मूल
 वाद का अंतिम रूप से निवारण हो जाने से जार्जी
 द्वारा उत्तुल जर्जना पर अन्तर्गत धारा 112 बादाबान
 काहरकारी अधिनियम में कोई कार्रवाही अंगेहीत
 नहीं है। कानूनन मूल वाद के निवारण उपबान स्मगन
 जर्जना पर जोछणीय नहीं रहता है, कवी स्वयं इस प्रकण
 को नहीं चलाना चाहता है, अतः जार्जी का जर्जना पर
 क्वीटा कर पत्रावली की सिंगेर से तलब करते हुए कार्रवाही
 ड्रॉप करने का आदेश पारित करवावे।

जमाना
 804
 12-12-25

जार्जी एवं जार्जी माधिवक्ता की एकाक्षीप
 (युक्त गया) जार्जी के द्वारा उत्तुल जर्जना पर दिनांक 17/12/25
 एवं उत्तुल शदाब रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जार्जी
 के द्वारा उत्तुल जर्जना पर अन्तर्गत धारा 112 बादाबान
 काहरकारी अधिनियम में वार्णित वादगत धूमि का
 विभाजन हो चुका है। साथ ही जार्जी द्वारा जर्जना पर में
 कोई कार्रवाही नहीं करने से जार्जी का जर्जना पर निवारण
 किया जाता है। अतः जार्जी द्वारा उत्तुल जर्जना पर अन्तर्गत
 धारा 112 बादाबान काहरकारी अधिनियम उतबान
 जमाना बगाम भवाना को ड्राप किया जाता है। पत्रावली
 जार्जी के जर्जना पर अनुसार जाहीर की जाती है। पत्रावली
 फैसल सुमार लोक जाहील फल ले आ नम्बर से
 कम हो

17/12/25

सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा